न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अजीतसिंह राजावत आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 112 / 20224 / बाड़मेर

अपीलांटरा	रेस्पोडेंटगण
1. अमरसिंह पुत्र सगतसिंह 2. धुड़सिंह पुत्र कालूसिंह जाति राजपूत निवासी नागाणा तहसील शिव जिला बाड़मेर	1. पदमकंवर पत्नी नाहरसिंह 2. चूनसिंह पुत्र गणपतसिंह 3. सुमेरसिंह पुत्र गणपतसिंह 4. पवर्तसिंह पुत्र गणपतसिंह 5. भगवानसिंह पुत्र गणपतसिंह 6. बाबूसिंह पुत्र गणपतसिंह 7. चुतरसिंह पुत्र सगतसिंह 8. लूणसिंह पुत्र सगतसिंह 9. आनदसिंह पुत्र उदयसिंह 10. रविन्द्रसिंह पुत्र उदयसिंह 11. गंगाकंवर बेवा उदयसिंह 12. मोहनसिंह पुत्र भंवरसिंह 13. धाईकंवर पत्नी भंवरसिंह 14. नहरसिंह पुत्र कालूसिंह 15. खेतसिंह पुत्र देवीसिंह 16. नगेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह 17. सवाईसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी नागाणा तहसील शिव जिला बाड़मेर 18. शाखा प्रबधक, बीसीसीबी शिव 19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 114 / 20224 / बाड़मेर

अपीलांटरा	रेस्पोडेंटगण
1. अमरसिंह पुत्र सगतसिंह 2. धुड़सिंह पुत्र कालूसिंह जाति राजपूत निवासी नागाणा तहसील शिव जिला बाड़मेर	1. पदमकंवर पत्नी नाहरसिंह 2. चूनसिंह पुत्र गणपतसिंह 3. सुमेरसिंह पुत्र गणपतसिंह 4. पवर्तसिंह पुत्र गणपतसिंह 5. भगवानसिंह पुत्र गणपतसिंह 6. बाबूसिंह पुत्र गणपतसिंह 7. चुतरसिंह पुत्र सगतसिंह 8. लूणसिंह पुत्र सगतसिंह 9. आनदसिंह पुत्र उदयसिंह 10. रविन्द्रसिंह पुत्र उदयसिंह 11. गंगाकंवर बेवा उदयसिंह 12. मोहनसिंह पुत्र भंवरसिंह 13. धाईकंवर पत्नी भंवरसिंह 14. नहरसिंह पुत्र कालूसिंह 15. खेतसिंह पुत्र देवीसिंह 16. नगेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह 17. सवाईसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी नागाणा तहसील शिव जिला बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	18. शाखा प्रबंधक, बीसीसीबी शिव 19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 237/2011 बअनवान पदमकंवर बनाम चूनरसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.2012, दिनांक 26.09.2023 व संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 19.09.24

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा नागाणा तहसील शिव के खसरा संख्या 378 रकबा 350.00 बीघा किस्म चारम का आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी में वादीनी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार दर्ज है जिसमें वादीनी का उपरोक्त खेत में 1/2 हिस्सा सही दर्ज है लेकिन प्रतिवादीगण के आपस में हिस्से सही खुल्ले हुये नहीं है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 से 18 का 1/2 हिस्सा खातेदारी अधिकार का है तथा पक्षकारान इसी हिस्सा मुजब मौके पर काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है। लेकिन वादीनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उपरोक्त खेत के बंटवाड़े को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस तनाजे का स्थायी समाधान करने के लिये हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलाटस के विद्वान अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता श्री नवलसिंह को नियुक्त किया गया तथा अपीलांट की ओर से पूर्ण रूप से पैरवी करने हेतु हिदायत दी गई तथा जब न्यायालय में आवश्यकता होगी तब सूचित करने का आवश्वासन दिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गया परन्तु अधिवक्ता द्वारा अपीलांट की ओर से समुचित रूप से पैरवी नहीं की गई तथा अपीलांट की ओर से जवाबदावा पेश नहीं किया गया तथा न ही किसी प्रकार की पैरवी की गई तथा न ही साक्ष्य हेतु अपीलांट को सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। इस प्रकार अधिवक्ता की लापरवाही व गलती की सजा पक्षकार को दिया जाना कतई विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार शिव को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार शिव द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उत्तरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार शिव द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया वर्तमान अरसा 10–15 दिन पूर्व उतरदातागण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काश्त की भूमि में काबिज होने का प्रयास करने लगे जिस पर वादीगण ने मना किया तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि हमने कोर्ट से फैसला करवा लिया है तथा आपके कब्जे वाली भूमि हमारे हिस्से में आई हुई है इसलिये आपको बेदखल कर देगें जिस पर अपीलांटगण को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे तो अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकले दिनांक 05.07.2024 को प्राप्त की गई तब अपीलांटगण को सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा जानकारी से यह अपील अन्दर म्याद पेश है फिर भी सद्भाविक रूप से हुऐ विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलांटस के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

शपथ–पत्र पर विश्वास कर परिस्थतियों को ध्यान में रखते हुए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांट को सूचना/नोटिस दिये बिना मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की गई वो प्राथमिक डिक्री के विपरित है। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2013 को अंतिम निर्णय एवं डिक्री जारी की गई जिसमें उतरदाता संख्या 1 को खसरा संख्या 378 में 160.08 बीघा व 14.12 बीघा भूमि दो टुकड़ो में दी गई थी उसके तीन वर्ष बाद उतरदाता संख्या 01 द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सी पी सी के तहत आवेदन पेश कर खसरा संख्या 378 में 175 बीघा एकल चक में भूमि देने हेतु निवेदन किया गया जिस प्रार्थना–पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को सूचना दिये बिना व बिना तलबी के तथा बिना पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये ही पूर्व में मंगवाये गये विभाजन प्रस्ताव के विपरित जाकर पूर्व में जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2013 में संशोधन करते हुए एकतरफा दिनांक 09.06.2016 को संशोधित निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध जाकर पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 237/2011 बअनवान पदमकंवर बनाम चूनसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.2012, दिनांक 26.09.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

व संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2016 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को जवाबदावा, साक्ष्य सबूत पेश करने तथा सुनवाई का समुचित मौका दिया जाकर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख गय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

19.09.25

(अजीतसिंह बाघावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 19.09.25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.09.25

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर